




# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सरकार बनाम रामबाबू प्रकरण सं. 22/2014 प्रकरण – गुण्डा एक्ट</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>25.02.2019</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। लोक अभियोजक उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली दौसा जिला दौसा की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल श्री रामबाबू उर्फ बाबुलाल पुत्र श्री पूरणमल माली निवासी सैथल मोड अयोध्या नगर दौसा थाना कोतवाली दौसा जिला दौसा की मृत्यु हो चुकी है। मृत व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः जिला पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा प्रस्तुत गुण्डा एक्ट प्रकरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक दौसा को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 25.02.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p> अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा</p> <p></p> <p> सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official</p>	<p>निर्णय 553 01.3.19</p>